30-9-2024	प्रार्थी के वकील उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही होने से जवाब बन्द किया जाकर प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय मियाद अधियिम के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उप तहसीलदार, मण्ड़ार के उक्त निर्णय दिनांक 12.2.2024 के विरुद्ध अपील पेश करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं मूल अपील के साथ नत्थी हो। अति. जिला कलेक्टर, सिरोही		

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:05:39 IST
Reason: SelfAttested